अनाधिकृत जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0-630/16-17

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
19.10.20	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या–**1704/रा0**, दिनांक–**15.07.2020** के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निरतारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–5.11.20 को उपरथापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
5.11.20	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदर रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक–लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक–23.11.20 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
23.11.20	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–भालु-शयडीह, मौजा नं0–107, साबिक खाता सं0–23, साबिक प्लॉट सं0–अंकित नहीं है, रकवा–0.45 जिसका हाल खाता सं0–75, हाल	

निजाम्रों को निशान कर आवासित से प्रतिस्थापित किया गया है कि

प्लॉट सं0– अंकित नहीं है, रकवा– 0.45 गत् सर्वे खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार पटल मुर्मी पिता जगत मोदी के नाम से पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या– 48 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–**4(h)** के तहत् पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या– 48 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

Digitally signed by RAMESH RAVIDAS
Date: 2025.05.20 10:48:49 +05:30
Location: 192.168.1.12